

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 2685] No. 2685] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 14, 2016/कार्तिक 23, 1938

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 14, 2016/KARTIKA 23, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली,14 नवम्बर, 2016

का.आ. 3448 (अ).--केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 8 नवम्बर, 2016 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3408(अ), तारीख 8 नवम्बर, 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :--

1. उक्त अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में, "14 नवम्बर, 2016" अंकों और शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "24 नवम्बर, 2016" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 10/03/2016-सीवाई.I]

डॉ. सौरभ गर्ग, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3408(अ), तारीख 8 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3416(अ), तारीख 9 नवम्बर, 2016, का.आ. 3429(अ), तारीख 10 नवम्बर, 2016, का.आ. 3445(अ), तारीख 11 नवम्बर, 2016 तथा का.आ. 3447(अ), तारीख 13 नवम्बर, 2016 द्वारा संशोधित की गई।

5264 GI/2016 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2016

S.O. 3448(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby further amends the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs number S. O. 3408 (E) dated the 8th November, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 8th November, 2016, namely:—

1. In the said notification, in paragraphs 1 and 2, for the words, figures and letters "the 14th November, 2016", occurring at both places, the words, figures and letters "the 24th November, 2016" shall be substituted.

[F. No. 10/03/2016-Cy.I]

Dr. SAURABH GARG, Jt. Secv.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 3408 (E) dated the 8th November, 2016 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 3416 (E) dated the 9th November, 2016, S.O. 3429(E) dated the 10th November, 2016, S.O. 3445 (E) dated the 11th November, 2016 and S.O. 3447 (E) dated the 13th November, 2016.